अपील 01/17 भगवान बनाम भगवान

12–2–2025	योग्य अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। योग्य अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1970 पेज 505, आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.आर.डी. 1987 पेज 106, उद्धरित किये। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्त आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1338, आर.आर.डी. 2013 पेज 37, आर.आर.टी.2018(2) पेज 1188 एवं आर.बी.जे. 1996(3) पेज 295 का ससम्मान अध्ययन किया गया। विचाराधीन प्रकरण अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधीनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपीलाधीन आदेश ग्रांम पंचायत जहॉगीरपुर बाबत नामान्तकरण 94 ग्रांम होंता तहसील नदबई दिनांक 24.6.1964 के खिलाफ न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 94 तारीखी 24.6.1964 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तकरण रामफूल पुत्र परताप कोम जाट की विरासत का मुस्मात गुलकन्दी बेबा रामफूल कोम जाट के हक में ग्रांम पंचायत जहॉगीरपुर तहसील नदबई द्वारा स्वीकार किया गया है। ग्रांम पंचायत के आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। जैसा कि राज्य सरकार राजस्व विभाग ग्रुंप–4 विभाग जयुपर के परिपत्र एफ5(21) राजस्व/जीआर.4/80/35 दिनांक 4.9.1982 में आदेश दिये गये हैं कि नामान्तकरण में ग्रांम पंचायतों द्वारा दिये गये आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी को होगीं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)